

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2012—चैत्र 11, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. 1933-136-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 मार्च 2012 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०१२

मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०१२.

[दिनांक ३१ मार्च, २०१२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३१ मार्च, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

(२) यह १ अप्रैल, २०१२ से प्रवृत्त होगा.

नवीन धारा १५-क का अन्तःस्थापन.

२. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १५ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

वसूली की विशेष रीति.

"१५-क (१) धारा १५ में या किसी विधि या किसी संविदा में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, आयुक्त या वाणिज्यिक कर निरीक्षक एवं कराधान सहायक से भिन्न कोई अधिकारी, किसी भी समय या समय-समय पर विहित प्ररूप में सूचना द्वारा, जिसकी एक प्रति नियोजक या व्यक्ति को उसके ऐसे अंतिम पते पर, जो कि सूचना देने वाले अधिकारी को ज्ञात है, भेजी जाएगी,—

(क) किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसके द्वारा उस नियोजक को या व्यक्ति को जिसने इस अधिनियम के अधीन शोध्य किसी रकम के लिए मांग की सूचना का अनुपालन नहीं किया है, कोई रकम शोध्य है या शोध्य हो जाए;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति से, जो ऐसे नियोजक या व्यक्ति की ओर से या उसके लेखे कोई धन धारण करता है या तत्पश्चात् धारण करे,

यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस धन में से उतने धन को जितना कि इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया, ब्याज तथा शास्ति के संबंध में उस नियोजक या व्यक्ति से शोध्य रकम का भुगतान करने के बराबर हो या वह सम्पूर्ण धन जबकि वह उस रकम से कम हो या तो तत्काल या धन के शोध्य हो जाने पर या धारण कर लिए जाने पर या सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर (जो धन शोध्य होने या धारण किए जाने के पूर्व का न हो) सरकारी खजाने में भुगतान करे.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी नियोजक या व्यक्ति को शोध्य रकम या उसके द्वारा नियोजक या व्यक्ति की ओर से या उसके लेखे धारण किए गए धन की संगणना, ऐसे दावों को, यदि कोई है, हिसाब में लेने के पश्चात् की जाएगी जो ऐसे नियोजक या व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति को भुगतान करने के लिये शोध्य हो गए हैं, जो विधिपूर्णतः अस्तित्व में हैं.

(२) उपधारा (१) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी, किसी भी समय या समय-समय पर, किसी ऐसी सूचना को संशोधित या प्रतिसंहत कर सकेगा या सूचना के अनुसरण में कोई भुगतान करने के लिए समय बढ़ा सकेगा.

- (३) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुपालन में भुगतान करने वाले किसी भी व्यक्ति के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने नियोजक या व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन भुगतान किया है और ऐसे भुगतान से संबंधित खजाने की रसीद, रसीद में विनिर्दिष्ट की गई रकम की सीमा तक ऐसे नियोजक या व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के दायित्व का समुचित तथा पर्याप्त उन्मोचन होगा.
- (४) कोई भी व्यक्ति, जिसे उपधारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना की उस पर तामील होने के पश्चात् नियोजक या व्यक्ति के प्रति दायित्व का उन्मोचन करना है, तो वह उन्मोचित दायित्व की सीमा तक या कर या शास्ति या दोनों के संबंध में नियोजक या व्यक्ति के दायित्व की सीमा तक, जो भी कम हो, राज्य सरकार के प्रति स्वयं दायी होगा.
- (५) जहां कोई भी व्यक्ति, जिस पर उपधारा (१) के अधीन सूचना तामील की गई है, सूचना जारी करने वाले अधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि मांगी गई राशि या उसका कोई भाग, उस समय जबकि उस पर सूचना तामील की गई थी, उसके द्वारा नियोजक या व्यक्ति को शोध्य नहीं था वह नियोजक या व्यक्ति की ओर से या उसके लेखे कोई धन धारण नहीं करता था, तो इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति, ऐसे किसी धन या उसके भाग का सरकार को भुगतान करने के लिए अपेक्षित करने वाली नहीं समझी जाएगी.
- (६) कोई भी धनराशि, जिसका भुगतान करने के लिए किसी भी व्यक्ति से उपधारा (१) के अधीन अपेक्षा की जाती है या जिसके लिये वह उपधारा (४) के अधीन राज्य सरकार के प्रति स्वयं दायी हैं, यदि वह अदत्त रह जाए, भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.
- (७) इस धारा के उपबंधों का किसी भी ऐसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो नियोजक या व्यक्ति से शोध्य करके बकाया, ब्याज तथा शास्ति की, यदि कोई हो, वसूली के लिए की जा सकती है.''

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

अनुसूची का संशोधन.

- (एक) अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“१. नियोजन में के ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक वेतन या मजदूरी—

- | | | |
|-----|--|---|
| (क) | १,५०,००० रुपये से अधिक नहीं है | कुछ नहीं |
| (ख) | १,५०,००० रुपये से अधिक किन्तु १,८०,००० रुपये से कम है. | १५०० रुपये (१२५ रुपये प्रति मास) |
| (ग) | १,८०,००० रुपये और उससे अधिक है | २५०० रुपये (ग्यारह मास के लिए २०८ रुपये प्रति मास और बारहवें मास के लिए २१२ रुपये)''; |

(दो) अनुक्रमांक ८ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“८. मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन कर की देनगी करने के दायित्वाधीन व्यापारी, जिनका वार्षिक ग्रास टर्न ओवर,—

(क) १०,००,००० रुपये से अधिक नहीं है	कुछ नहीं.
(ख) १०,००,००० रुपये से अधिक किन्तु ५०,००,००० रुपये से कम है	२००० रुपये
(ग) ५०,००,००० रुपये और उससे अधिक है.	२५०० रुपये.”

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2012

क्र. 1934-136-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 15, सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 15 OF 2012

THE MADHYA PRADESH VRITTI KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012.

[Received the assent of the Governor on the 31st March, 2012; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 31st March, 2012.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vritti Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.
- (2) It shall come into force from 1st day of April, 2012.

Insertion of Section 15-A.

2. After Section 15 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam 1995 (No. 16 of 1995) (hereinafter referred to as the principal Act), the following Section shall be inserted, namely:—

Special mode of recovery.

“15-A. (1) Notwithstanding anything contrary contained in Section 15 or any law or contract, the Commissioner or any Officer other than Commercial Tax Inspector and Taxation Assistant, may at any time, or from time to time, by a notice in the prescribed form a copy of which shall be sent to the employer or person at his last address known to the Officer issuing the notice, require,—

- (a) any person from whom any amount is due or may become due to an employer or person who has failed to comply with a notice of demand for any amount due under this Act;
- (b) any person who holds or may subsequently hold any money for or on account of such employer or person, to pay to the Government treasury under this

sub-section, either forthwith or upon the money becoming due or being held, or within the time specified in the notice (not being before the money becomes due or is held), so much of the money, as is equal to the amount due from the employer or person in respect of the arrears of the tax, interest and penalty under this Act or the whole of the money when it is less than that amount.

Explanation.—For the purpose of this sub-section the amount due to an employer or person or money held for or on account of an employer or person by any person shall be computed after taking into account such claims, if any, as may have fallen due for payment by such employer or person to such person, as may be lawfully subsisting.

- (2) The Officer issuing a notice under sub-section (1) may at any time, or from time to time, amend or revoke any such notice or extend the time for making any payment in pursuance thereof.
- (3) Any person making any payment in compliance with a notice issued under sub-section (1) shall be deemed to have made the payment under the authority of the employer or person and the treasury receipt for such payment shall constitute a good and sufficient discharge of the liability of such a person to the employer or person to the extent of the amount specified in the receipt.
- (4) Any person discharging any liability to the employer or person after service on him of the notice issued under sub-section (1) shall be personally liable to the State Government to the extent of the liability discharged or to the extent of the liability of the employer or person for tax or penalty or both, whichever is less.
- (5) Where a person to whom a notice is served under sub-section (1) proves to the satisfaction of the officer who issued the notice that the sum demanded or any part thereof was not due to the employer or person or that he did not hold any money for or on account of the employer or person, at the time the notice was served on him, then nothing contained in this Section shall be deemed to require such person to pay to the Government any such money or part thereof as the case may be.
- (6) Any amount of money which a person is required to pay under sub-section (1) or for which he is personally liable to the State Government under sub-section (4) shall, if it remains unpaid, be recoverable as an arrear of land revenue.
- (7) The provisions of this Section shall be without prejudice to any action that may be taken for recovery of the arrears of tax, interest and penalty, if any, due from the employer or person.”.

3. In the Schedule to the principal Act,—

Amendment of Schedule.

- (i) for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“1. Persons in employment whose annual salary or wage,—

- | | | |
|-----|---|------------------------------------|
| (a) | does not exceed rupees 1, 50,000 | Nil |
| (b) | exceeds rupees 1,50,000 but less than rupees 1,80,000 | Rupees 1500 (Rupees 125 per month) |

- | | | |
|--|---|--|
| (c) | is rupees 1,80,000 and more | Rupees 2500 (Rupees 208 per month for eleven months and rupees 212 for twelfth month).”. |
| (ii) for serial number 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:— | | |
| “8. Dealers liable to pay tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) whose annual gross turnover,— | | |
| (a) | does not exceed rupees 10,00,000 | Nil |
| (b) | exceeds rupees 10,00,000 but less than rupees 50,00,000 | Rupees 2000 |
| (c) | is rupees 50,00,000 and above | Rupees 2500.”. |